

नगर पंचायत का कार्यालय, सहायक

मुकदमा संख्या 52/12-13
 Enclaves under Muzra - Ghughra
 नगर पंचायत / आंबेका सरकारी या नगर पंचायत जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कर जमीन का अधिकार नहीं करेंगे। अधिकार पाठे जाने पर अधिकारित अथवा को नोट दिया जाएगा और नोट पर जो व्यय होगा वह व्यय आवेक / आंबेका से व्यय होगा।
 2. भवन में सेवा, शौचालय का निर्माण नहीं करेंगे।
 3. भवन में शैली के विषय प्रचार शैलानदान की व्यवस्था करेंगे।
 4. भवन भवन नोट के समय आस पास की पड़ोसियों को क्षति नहीं पहुँचाएँगे।
 5. नगर पंचायत वाली, जमीन एवं पार्क फीट एवं भवन के निर्माण लक्ष्य।
 6. भवन में डीप शैली नहीं करेंगे।
 7. उत्तम निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की अप्रतिजनक दलों का स्थापन या भवन नहीं करेंगे।
 8. पथर, गालु, मिट्टी, ईट इत्यादि रख कर नाली या रोड को अवरुद्ध नही करेंगे।
 9. फटे पड़ोसियों के लक्ष्य करवाया या छिड़कियाँ नही खोलेँगे। एवं जमीन अधिकार नहीं करेंगे।
 10. पतवारण, जल संवयन, जमीन की प्रकृति एवं आदिवासी, गरीबों के हिस्से का ध्यान रखते हुए भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
 11. आवेकपत्रा होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नगर पंचायत जमीन या अंश जमीन की स्थिति में उनकी माप के अखत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
 12. भवन में वल निर्माण लगाना अनिवार्य है।
 13. नदी की स्वीकृत अवधि एक साल तक रहेगी, एक साल के बाद नदीकरण करना अनिवार्य है। नदीकरण नहीं करने पर नदी की अस्वीकृत माना जाएगा।
 14. नगर पंचायत नाली एवं रोड लक्ष्य शौचालय का पड़ोस लगाना बाहित है।
 15. भोज्य में किसी प्रकार तकनीकी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर स्वीकृत नदी की खोज करने का अधिकार अर्थात् स्वीकृती को होगा।

कार्यपालक प्रशासिकारी
 नगर पंचायत सहायक
 5/11/13
 प्रति नदी आवेक को दिया गया और एक प्रति शौचालय को भवन।

